राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प. 1(8)एमई / ग्रुप–1 / 2021 जयपुर, दिनांक : 3/6/2021

आदेश

विभागीय आदेश दिनांक 22.05.2021 के द्वारा नवनियुक्त निम्नांकित अभ्यर्थियों द्वारा डी.एम. / एम.सीएच. / एफ.एन.बी. कोर्स किये जाने बाबत अवगत कराते हुए कोर्स पूर्ण होने तक कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि / असाधारण अवकाश स्वीकृति हेतु निवेदन किया गया है। इन अभ्यर्थियों के कोर्स पूर्ण होने की समयावधि अत्यधिक है जो कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.1997 के अनुसार देय नहीं है।

विभागीय आदेश दिनांक 22.05.2021 में निर्धारित कार्यग्रहण अवधि की अन्तिम तिथि को ध्यान में रखते हुए इन अभ्यर्थियों के नाम के सम्मुख अवधि तक के लिए उनके कार्यग्रहण काल में एतद्द्वारा अभिवृद्धि की जाती है :–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम	पद जिस पर नियुक्ति प्रदान की गई है	कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि की समयावधि
1.	डॉ. अक्षय शेखावत	सहायक आचार्य, जनरल मेडिसिन	30 दिवस
2.	डॉ. मुकेश कुमार सैनी	सहायक आचार्य, अस्थि रोग	30 दिवस
3.	डॉ. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मूलचन्द	सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी	30 दिवस
4.	डॉ. विजय कुमार सैनी	सहायक आचार्य, जनरल सर्जरी	30 दिवस

उक्त सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अभिवृद्धि की गई समयावधि में अपने पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर, सूचना इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

3/6/2021
(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, जयपुर / अजमेर / जोधपुर / बीकानेर / उदयपुर / कोटा को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित अभ्यर्थी के अभिवृद्धि की गई अवधि में अपने पद पर कार्यग्रहण करने अथवा नही करने की सूचना अविलम्ब इस विभाग को जरिये **ई–मेल** भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
4. ए.सी.पी चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
6. रक्षित पत्रावली।

शिवशंकर

(शिवशंकर अग्रवाल)
सहायक शासन सचिव